पत्र संख्या पी–5 / 21–01–01–2019 / 197
बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक– 24/09/20

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक,
सभी पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

प्रसंगः– गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का विभागीय पत्रांक–1086, दिनांक–31.01.2020।

विषयः– चौकीदार संवर्ग कर्मियों को वेतनादि एवं सेवांत लाभों के भुगतान के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक–यथोपरि।

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय को Website पर रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

(30)

पत्र सं0–09/चौ0–90–13/2019 गृ0आ0 1086/

बिहार सरकार,
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक 31. जनवरी, 2020

विषयः– **चौकीदार संवर्ग कर्मियों को वेतनादि एवं सेवांत लाभों के भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 में संशोधन करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0 8229, दिनांक 01.10.2019 निर्गत की गई है, जिसके द्वारा इस संवर्ग का परिचालनात्मक नियंत्रण संबंधित जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है। उक्त अधिसूचना द्वारा यह भी व्यवस्था की गयी है कि इस संवर्ग के सदस्यों को वेतनादि का भुगतान पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा और वे इस संवर्ग के कर्मियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार लघु दण्ड हेतु अनुशासनिक कार्रवाई तथा निलंबन की कार्रवाई कर सकेंगे।

उक्त अधिसूचना के निर्गत होने के उपरांत विभिन्न जिला पदाधिकारियों से इस संबंध में मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध प्राप्त हो रहा है कि चौकीदार संवर्ग के कर्मियों को अनुकम्पा अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 आदि कार्रवाई किस स्तर से की जायेगी।

इस संबंध में कहना है कि उपर्युक्त विभागीय अधिसूचना द्वारा निर्गत बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 द्वारा चौकीदार संवर्ग के कर्मियों के नियुक्ति प्राधिकार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अतएव नियुक्ति प्राधिकार के रूप में इस संवर्ग के कर्मियों के लिए जो कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किए जाते रहे हैं, वह पूर्ववत् किये जाते रहेंगे। उदाहरण के तौर पर इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर नियुक्ति, सेवापुस्तिका क

आधार पर नियुक्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर नियुक्ति, सेवापुस्तिका का संधारण, सम्पुष्टि, प्रोन्नति, ए०सी०पी० अथवा एम०ए०सी०पी० का कार्य और उनसे संबंधित स्वीकृत्यादेश नियुक्ति प्राधिकार के स्तर से ही निर्गत किया जाना है। सेवानिवृत्ति के अवसर पर पेंशन/नयी पेंशन योजना से संबंधित आदेश ग्रुप बीमा, लीभ इन्कैशमेन्ट, जी०पी०एफ० आदि से संबंधित आदेश/स्वीकृत्यादेश आदि निर्गत किया जाना भी पूर्ववत् जिला पदाधिकारी का ही दायित्व है। किन्तु उक्त आदेशों/स्वीकृत्यादेशों के फलस्वरूप किया जाने वाला भुगतान/बकाया भुगतान आदि संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाना है।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई किये जाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

29.01.20

(गिरीश मोहन ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

Done ✓
31 JAN 20
आई० टी० कोषांग
गृह विभाग (विशेष)
Signature

ltr